





## कार्यालय

### अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद

#### उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- प्राथमिकपरिषद सम्बद्धता/2023/12000001

संख्यक/ दिनांक: 12-09-2023

#### :-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघटित डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवत् हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संवत्ओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संवत्ओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित वर्गों के अर्धीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रदेश स्तर पर हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

#### संख्या का कोड एवं नाम : 2006-RAJ KALI DEVI PHARMACY COLLEGE

संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आर्जीसी/टीएनईसी/पीएनई/आईटी द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रदेश स्तर पर	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रदेश स्तर पर
1	DIPLOMA IN PHARMACY	06	06

#### सम्बद्धता हेतु वर्ग

- ✓ प्राथमिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 315148-3096/900222 टीएनई-1 दिनांक 16 मई 2023 द्वारा पूर्व से कार्यालय संख्या संवत्ओं की ओर के निम्न तकनीकी महाविद्यालय में वार्षिक रिक्त पदों का संवत् संख्या 502700023 में कार्यालय महाविद्यालय के अर्धीन निर्णय के अर्धीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संख्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी वर्गों का पूर्णतः पालन करेंगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के माध्यम से अनुक्रम संवत् में समाप्त संवत् पर पुनः प्रवेश, रीट (उपस्थान) अदि उपलब्ध है।
- ✓ संख्या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एच 1982 एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली-2018 एवं क्रम-क्रम पर निर्णय संवत्ओं के अनुमोदन करने एवं मुक्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित मुक्त ही प्रवेश प्रदान करने के अर्धीन प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त संवत्ओं में हेतु के सम्बन्ध में संवत्-सत्र पर संवत् प्रदान निर्णय किये जाने वाले संवत्ओं को प्रदान की जाएगी, और अनुमोदन कार्यालयी किये जाने आवश्यक होगा। प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा सत्र 2023-24 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किये गए हैं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किये गए हैं।
- ✓ संख्या में संवत् संवत् प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित वर्गों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संख्या को संवत्-सत्र पर निर्णय संवत्ओं के अनुक्रम निर्धारण एवं सम्बद्धता मुक्त सत्र संवत् होगा।